

S.L. EDUCATION INSTITUTE

Pallupura Ghosi, Post-Pakwara, Distt.-Moradabad

Mob.: 9458684488, 8445989158, 09999036022, 9410067992

E-mail : ycmtrust@yahoo.com

Ref. No.: SLEI/ICBSE/Recognition

Date .28-01-2023.

Dear Sir,

Pointwise reply to the observations is given below:

1. Recognition letter for Class I-V and class VI – VIII from State Education Department under RTE Act was issued vide letter reference no. E-UPS-683/2020 dated 19-03-2020 and E-UPS-689/2020 dated 21-03-2020 respectively (copy attached). This was valid for one year.

State Education Department started online recognition system and certificate of school recognition for Class I-V and class VI – VIII from State Education Department under RTE Act was issued online bearing recognition no. 683 dated 09.12.2021 and recognition no. 689 dated 15-12-2021 respectively (copy attached).

Please note that this is auto generated document issued by State Education Department for permanent recognition of our school and in the present system there is no other document issued other than this certificate for recognition of school. State Education Department has also confirmed the same to us. It is requested to consider these certificates of School Recognition as recognition letter.

2. Land area mentioned in part -A is 10077 sq metre and is correct. Total Land of 15704 sq metre area is in the name of Smt Chandramukhi (Chairperson of Yatish Chandra Memorial Trust) and out of total 15704 sq metre area 10077 sq metre was given to S. L. Education Institute, Pallupura Ghosi District Moradabad on long term lease of 30 years vide registered lease document no. 12699 dated 17-12-2014 (copy attached.)

As desired, land certificate with 10077 sq metre area issued by Tehsildar Moradabad on 18.01.2023 is attached herewith.

Since total land area owned by Smt Chandramukhi is 15704 sq metre, there was mention of 15704 sq metre land area in previous land certificate.

It is requested to please consider our reply and clarification along with desired documents and process our application for recognition.

Regards

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Shashi" over "28/11/23".

Dr Shashi Chandra

PRINCIPAL
S.L. Education Institute
Pallupura Ghosi
Moradabad

प्रेषक,
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मुरादाबाद।
सेवा में,
प्रबन्धक,
एस०एल० एजूकेशन इन्स्टीट्यू
पल्लूपुरा घोसी,
विंख० मुरादाबाद।

पत्रांक: वै0सहा०/मान्यता/ E-PS-689/2020 /2019-20 दिनांक: २१-०३-२०२०

विषय: नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय

उपर्युक्त विषयक, आपके आवेदन पत्र दिनांक 10.12.2019 और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण/जॉब उपरान्त, शासनादेश संख्या-३९/अरसड-३-२०१८-२०४१/२०१८ वेसिक शिक्षा अनुभाग-३ लखनऊ; ११ जनवरी, २०१९ में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत मान्यता समिति (प्राथमिक विद्यालय) की बैठक दिनांक २०.०३.२०२० में लिये गये निर्णयानुसार एस०एल० एजूकेशन इन्स्टीट्यूट, पल्लुपुरा घोसी विझ०५०-मुरादाबाद को कक्षा -१ से कक्षा-५ तक की अंग्रेजी माध्यम से अस्थायी औपचारिक मान्यता नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिए इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती हैं कि इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो एक वर्ष के पश्चात मान्यता से संबंधित नियमों/शर्तों का पुनः परीक्षण किया जायेगा और आर०टी०इ० के अनुसार विद्यालय चलते रहने पर एक वर्ष के पश्चात विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान की जायेगी। नियम/शर्तें निम्नवत हैं—

- विद्यालय निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और उत्तर प्रदेश निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के उपबचों का पालन करेगा।
 - विद्यालय संचयित करने वाली रसाया सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एकट, 1860 के अन्तर्गत पंचीकृत व नवीनीकृत हो।
 - विद्यालय किसी भी व्यक्ति व्यक्तियों के समूह अध्यात्र ऐलोसिप्रेशन को लान पहुँचाने के लिए संचयित नहीं किया जायेगा।
 - गान्धारा प्राप्त विद्यालय में उसके सुचारू रूप में सचालन के लिए उस विद्यालय के प्रबन्धाधिकरण द्वारा पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे तथा वैतिक शिक्षा परिषद द्वारा नियंत्रित मानकों के अनुसार पर्याप्त सुविधाओं वाली व्यवस्था की जायेगी।
 - गान्धारा प्राप्त विद्यालय में वैतिक शिक्षा परिषद द्वारा नियंत्रित पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों से बिना पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जायेगी और न ही पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा।
 - विद्यालय में राष्ट्रीय गीतों एवं राष्ट्रगान के मायन की व्यवस्था की जायेगी।
 - विद्यालय प्रबन्धनत्र द्वारा समय—समय पर निर्गत शासनादेशों, विभागीय आदेशों तथा नागदर्शी सिद्धान्तों का पालन किया जायेगा।
 - भारत के संविधान में प्राविधिकानि राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय धर्म व राक्षसीय सम्मान तथा नागदर्शी नूजी वाली सामाजिक के लिए प्रक्रियानि नीतिया तथा समय—समय पर निर्गत शासन के आदेशों का पालन करना उन्नीश्वरी होगा।
 - विद्यालय के गवर्नर्स तथा परिसंघों को किसी भी दशा में व्यापारायिक हवे आवासीय उद्देश्यों के लिए दिन और रात में प्रवोग नहीं किया जायेगा, परन्तु विद्यालय की सुरक्षा से संबंधित कर्मियों के आवास हेतु छूट रहेगी।
 - विद्यालय नवन परिसर अवलोग में दानों को किसी राजनीतिक अध्यात्रा गैर शीक्षिक किया—कलापों के प्रयोग में भी नहीं लिया जायेगा।
 - विद्यालय नवन के ऊपरामा एवं विद्यालय का नाम भान्याता का वर्ष, विद्यालय कोड एवं नान्यता प्रदान करने वाली सरकार/निकाय का प्रतीक चिन्ह (Logo) एवं नाम सुरक्षा रूप से अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। अधिकारत्र दो वर्ष में विद्यालय भवन में रा—रोगन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।
 - विद्यालय का किसी सरकारी अधिकारी अथवा स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा नियंत्रित किया जा सकेगा। खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उनसे हच्च स्तर के विभाग के अधिकारी अध्यात्रा जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विद्यालय का नियंत्रित किया जा सकेगा।
 - विद्यालय के जनन्यवीय/मण्डलीय/राज्य रत्नरीय अधिकारी अथवा अध्यात्रा एवं किसी सहकार प्राधिकारी द्वारा विद्यालय से रुचाना भागे जाने पर आवश्यक अवलोग एवं सूचनाएं नियंत्रित नुसार उपलब्ध करायी जायेगी तथा निर्देशों का पालन विद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
 - विद्यालय प्रबन्धत्र द्वारा निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम—2009 की घास—12 (1) (सी) के अन्तर्गत दुर्बल आद वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा।
 - शिक्षा का नाम अंग्रेजी नाम फ्रेंच लध्य अंकों के अन्तर्गत्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जायेगा। हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पदार्थी जायेगी।
 - विद्यालय में सभी पर्ग, धर्म, जाति के बच्चों को प्रदेश दिया जाना अनिवार्य होगा।
 - विद्यालय सोसाइटी का आवश्यकतानुसार उपर्युक्त निजी भवन होना चाहिए तथा महानोजना/सेक्टर प्लान में भू—उपयोग विद्यालय के नाम अंकित हो एवं विद्यालय का मानविक रागत प्राधिकारी से स्वीकृत होना अनिवार्य है।
 - दिव्यांग बच्चों की विद्यालय में सुगम पूर्वत हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर निर्गत अध्यतन शासनादेशों एवं नागदर्शी सिद्धान्तों का पूर्ण अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। विद्यालय भवन की मजबूती, सुरक्षा एवं रुख—रखाव का पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धत्र का होगा।
 - विद्यालय में अनिवार्य नामक के अनुसार राष्ट्रपित लध्यात्रा जाना होगा।
 - प्राथमिक के प्रत्येक कक्षानुमाम में प्रति छात्र संख्या 09 वर्ग कीट की दर से स्थान उपलब्ध होना चाहिए। विद्यालय में कक्षावार उतने ही छात्र—छात्राओं का प्रयोग दिया जाये, जिनके बैठन की समुचित व्यवस्था हो। प्रत्येक कक्ष—कक्ष में कम गे कम 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।
 - प्राथमिक स्तर की 3 कक्षायें, पुस्तकालय, बायानालय, प्रश्नाव्यापक, कार्यालय तथा स्टाफ के लिये जालग—अलग कक्ष छात्र/छात्राओं तथा अध्यात्रक/अध्यापिकाओं के पृथक—पृथक सूत्रालय, शौचालय एवं हाथ साफ करने की समुचित व्यवस्था तथा पीने के स्वच्छ (जीवाणु रहित) पानी की समुचित व्यवस्था सोनी चाहिए।
 - ऐलान के लिये विद्यालय परिसर में या विद्यालय परिसर के समीप पर्याप्त कीड़ा स्थल उपलब्ध होना चाहिए। जिसका उपयोग विद्यालय के छात्र/छात्राएं कर सकते हों।



W)

6

23. विद्यालय में छात्रोपयोगी विभिन्न विषयों की पुस्तकें, स्कॉल-बुक् का सामान, मानविक्र, विभिन्न शैक्षिक घार्ट, सामान्य ज्ञान, शिक्षाप्रद पुस्तके स्थान पत्र-पत्रिकाओं, पाठ्यक्रमानुसार आवश्यक विज्ञान सामग्री, प्राचीन शिल्प के लिए आवश्यकतानुसार भौगोलिक नवशी, ग्लोब, विषय से संबंधित चार्ट उपलब्ध होने चाहिए। उच्च एवं अच्युत उपकरण जिन्हें विद्यालय अपने आर्थिक संसाधनों के दृष्टिगत कर सकते हैं।
24. विद्यालय द्वारा रु. 100000/- (एक लाख) की बनायी जाएगी विद्यालय का एक स्थाई सुरक्षित कोष बनाया जाएगा और उसे जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम में प्रतिमूर्ति किया जाएगा।
25. मान्यता के पश्चात विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के अनुसार न्यूनतम रुपाएँ उपलब्ध होना चाहिए।
26. मान्यता प्राप्त विद्यालयों के कार्मिकों का वेतन मुमुक्षुन प्रबन्धांत्र द्वारा अपने निजी स्रोत से किया जायेगा।
27. प्राथमिक शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता वही होगी जैसा कि उत्तर प्रदेश बैसिक शिक्षा (आवायपक) सेवा नियमावली-1981 (अन्ततः संशोधित) में निहित है। उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बैसिक रुपूल (जूड़हाउस्कूल) (आवायपकों की भर्ती और सेवा की शर्त) नियमावली-1978 (यथासंशोधित) के अनुसार होनी।
28. मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा।
29. मान्यता प्राप्त कदाओं के अतिरिक्त जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्ण अनुमति के बिना सरकारी द्वारा कक्षा अध्यवा कोई अनुमान (सेवशन) न खोला जायेगा और न ही बन्द किया जायेगा न समाप्त किया जायेगा और न ही स्थानान्तरित किया जायेगा। विद्यालय को शाखा विद्यालय बताने की अनुमति नहीं होगी।
30. विद्यालय बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-19 एवं अनुसूची में विहित स्तर एवं मानकों को स्थापित रखेगा।
31. विद्यालय प्रबन्धांत्र द्वारा विद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं का कक्षावार एवं विद्यवार अधिगम स्तर एस0सी040आरटी0 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार बनाये रखना अनिवार्य होगा।
32. प्राथमिक (प्राइमरी) / उच्च प्राथमिक (प्राइमरी हाईस्कूल) की शिक्षा प्रदान करने वाले असासकीय (मान्यता प्राप्त) विद्यालय स्ववित्त पोषित होगे, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा तथा अनुदान स्वीकृति हेतु उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
33. मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं महगाई शुल्क मिलाकर उतना नासिक शुल्क स्वीकार किया जायेगा जो अव्यापकों/कर्मवारी कल्याणकारी योजना का अंशदान वहन करने के लिए पर्याप्त हो। इसके अतिरिक्त शिक्षण शुल्क तथा महगाई शुल्क से विद्यालय की वार्षिक आय में से वेतन मुनाफान के पश्चात शुल्क आय के 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हो। शिक्षण शुल्क में कोई वृद्धि तीन वर्ष तक नहीं की जायेगी। शुल्क में जब वृद्धि की जाएगी वह 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
34. विद्यालय द्वारा अंतिकरण शुल्क, स्कूल भवन शुल्क तथा कैपिटेशन के रूप में कोई कीस शिक्षार्थियों से लेना वर्जित है।
35. सेवाओं की समर्पणीया और प्रनामन किसी थाटेंड एकार्नेंट द्वारा किया जाना चाहिए और नियमानुसार समूचित लेखा विवरण तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति, प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद द्वारा प्रेषित की जानी चाहिए।
36. विद्यालय के कर्मचारियों के लिए प्रबन्धाधिकरण द्वारा सेवा नियमावली बनाकर प्रस्तुत की जायेगी, जिसमें नियुक्ति का प्रकार, परियोकालाल, स्थाईकरण तथा दण्ड के शामन्द में रंगिनाम एवं विधि रामात् प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है। सेवा नियमावली में अवकाश, मेंशन, बैच्युटी, शीन, पी0एफ० तथा अन्य कर्मचारी कल्याणकारी योजना का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।
37. आपके विद्यालय को आवाटेट मान्यता सम्बन्धित कोड संख्या E-PS-689/2020 है। कृपया इसको ध्यान रखा जाय और इस कार्यालय से किसी प्रकार के प्रत्यवेष्टार के लिए इस संस्थाका को उद्देश करने का कष्ट करें।
38. समिति/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति शुल्क संघर्ष नहीं करेगा और बालक अध्यक्ष उसके नाता-पिता या अभिभावक को किसी जांच प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
39. विद्यालय पर्यावरण से बचित नहीं करेगा—
(अ) यानका को आमु-प्लास्ट न होने पर
(ब) धनी, जाती अध्यक्ष नवल, जना त्वान अध्यक्ष उनमें से किसी अध्यार पर।
40. विद्यालय निम्नलिखित बालों को भी सुनिश्चित करेगा—
(एक) किसी विद्यालय में प्राइमरी शिक्षा पूर्ण होने वाले प्रेषण दिये गये किसी बालक को किसी वक्ता में नहीं रोकता रखा जायेगा या उसे विद्यालय से निकालित नहीं किया जायेगा।
(द्विंग) किसी भी बालक से प्राइमरी शिक्षा पूर्ण होने तक किसी शोर्ड की कैशा उल्लीण करना अपेक्षित नहीं है।
(तीर्थ) प्रत्येक बालक ने प्राइमरी शिक्षा पूर्ण होने पर नियम 23 के अन्तर्गत निर्धारण के अनुसार एक प्रमाण-प्रति दिलाई किया जायेगा।
(पंच) अधिनियम के उच्चन्द में अनुसार निश्चिकारत/हिस्प्र जालश्वलाक्षी वाले विद्यार्थियों का अन्तर्विषय
(छठ) अध्यापक अधिनियम की बात 24 (१) के अधीन विनिर्दिष्ट अनेक कर्तव्यों का निर्वाह करता है, और
(सात) अध्यापक व्यक्तिक अध्यापन विद्यालयकारी के निमित्त वर्ष की नहीं अनावैग।

कृपया उपरोक्त का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। विद्यालय प्रबन्धांत्र द्वारा कूटरचना/तथ्यगोपन/मान्यता की शर्तों में उल्लंघन होने से संबंधित कोई तथ्य संज्ञान में पाया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता का प्रत्याहरण कर लिया जायेगा जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धाधिकरण का होगा। इसमें किसी भी प्रकार का वाद-विवाद योजित नहीं किया जायेगा।

भवदीय,


 (योगेन्द्र कुमार)
 जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी

 मुरादाबाद।

/2019-20

दिनांक उकावत।

पृष्ठ सं/१००८०/१००८०/मान्यता/प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कारणात्मक हेतु प्रेषित—

- जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद।
- मुख्य विकास अधिकारी, मुरादाबाद।
- सचिव, बैसिक शिक्षा परिषद, उप्रप्र प्रयागराज।
- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बैसिक), द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।
- जिला विद्यालय नियमित, मुरादाबाद।
- जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, मुरादाबाद।
- सदस्याधक खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला प्रप्र मुरादाबाद।


 जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी
 मुरादाबाद।

प्रेषक,

जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी,
मुरादाबाद।

सेवा में,

प्रबंधक,
एस०एल० एजूकेशन इन्स्टीट्यूट,
पल्लपुरा घोसी,
विंखं० मुरादाबाद।

पत्रांक: वै०सहा० / मान्यता / E-UP3-683) २०२०/ २०१९-२० दिनांक: १९-०३-२०२०

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके आवेदन पत्र दिनांक 10.12.2019 और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/नियमण/जर्ज़िय उपरान्त, शासनादेश संख्या-89/अरसठ-3-2018-2041/2018 बैसिक शिक्षा अनुमान-3 लखनऊ: 11 जनवरी, 2019 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत मान्यता समिति (उच्च प्राथमिक विद्यालय) की बैठक दिनांक 18.03.2020 में लिये गये निर्णयानुसार एस०एल० एजूकेशन इन्स्टीट्यूट, पल्लपुरा घोसी विंखं०-मुरादाबाद को कक्ष-6 से कक्ष-8 तक की अंग्रेजी माध्यम से अस्थायी औपचारिक मान्यता नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत प्रथमत: एक वर्ष की अवधि के लिए इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो एक वर्ष के पश्चात मान्यता से रावणित नियमों/शर्तों का पुनः परीक्षण किया जायेगा और आर०टी०ई० के अनुसार विद्यालय चलते रहने पर एक वर्ष के पश्चात विद्यालय को राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की जायेगी। नियम/शर्तों नियमावली हैं:-

1. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
2. विद्यालय संचालित करने वाली सभ्या सोसाइटी एजिस्टेशन एवं 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत व नवीनीकृत हो।
3. विद्यालय किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियों के स्मृह उच्चार एसोसिएशन को लान पहुँचाने के लिए संबंधित नहीं किया जायेगा।
4. मान्यता प्राप्त विद्यालय में उसके सुधार रूप में रावणन के लिए उस विद्यालय के प्रबन्धाधिकरण द्वारा पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे तथा वैसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्दिष्ट भागकों के अनुसार पर्याप्त सुधारितों की व्यवस्था की जायेगी।
5. मान्यता प्राप्त विद्यालय में वैसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम या यादृय पुस्तकों से जिन पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा वी जायेगी और न ही पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा।
6. विद्यालय में राष्ट्रीय गीतों एवं राष्ट्रगान के गायन की व्यवस्था की जायेगी।
7. विद्यालय प्रबंधतत्र द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों, विभागीय आदेशों तथा मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन किया जायेगा।
8. भारत के संविधान में प्राविधिक राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय इजाव व संवर्धन सम्बन्ध तथा मानवीय मूल्यों की संप्राप्ति के लिए प्राविधिक नीतियां सभा रामय-रामय पर निर्गत शासन के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
9. विद्यालय के नवनों तथा परिसरों को किसी भी दशा में व्यावसायिक एवं आयासीय उददेश्यों के लिए दिन और रात में प्रयोग नहीं किया जायेगा, परन्तु विद्यालय की सुरक्षा रोकथाने की आवश्यकता हेतु छुट रहेगी।
10. विद्यालय भवन परिसर अस्था मैदान को किसी राजनीतिक अध्यवा गैर गैकिक किया-कलार्पों के प्रयोग में भी नहीं लिया जायेगा।
11. विद्यालय भवन के अन्याम पर विद्यालय का नाम, मान्यता का वर्ष, विद्यालय कोड एवं मान्यता प्रदान करने वाली संस्था/निकाय का प्रतीक विन्ह (Logo) एवं नाम सुरक्षा रूप से अकित किया जाना अनिवार्य होगा। अधिकारी दो वर्षों में विद्यालय भवन में रंग-रोगन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।
12. विद्यालय द्वा किसी सरकारी अधिकारी अथवा राष्ट्रीय शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा। खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उनसे उच्च स्तर के शिक्षा विभाग के अधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा।
13. वैसिक शिक्षा विभाग के जनपर्दीय/माध्यमीय/राज्य स्तरीय अधिकारी अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विद्यालय से गूचना माने जाने पर अवश्यक अस्था एवं नूचनाये निर्देशानुसार उपलब्ध करायी जायेगी तथा निर्देशों का पालन विद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
14. विद्यालय प्रबंधतत्र द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-12 (1) (भी) के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के बच्चों को प्रदेश दिया जाएगा।
15. शिक्षा का मध्यम अंग्रेजी भाषा ही ही तथा अकों के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जायेगा। हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ावी जायेगी।
16. विद्यालय में सभी वर्ग, वर्ष, जाति के बच्चों को प्रयोग दिया जाना अनिवार्य होगा।
17. विद्यालय सोसाइटी का आवश्यकतानुसार उपर्युक्त नियमी भवन होना चाहिए तथा महायोजना/सेक्टर प्लान में सु-उपयोग विद्यालय के नाम औंकेत हो एवं विद्यालय का मानचित्र संगत प्राधिकारी से स्वीकृत होना अनिवार्य है।
18. विद्यालय बच्चों की विद्यालय में सुगम पहुँच हेतु नारंतर सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अस्थान शासनादेशों एवं मार्गदर्शी सिद्धान्तों का सुर्योंत्र अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। विद्यालय भवन की मजाइती, सुधारा एवं रख-रखाव का पूर्ण उत्तराधायित्व विद्यालय प्रबंधतत्र का होगा।
19. विद्यालय में अग्नि जगन्मय यज्ञ मानक के अनुसार रखायित कराया जाना होगा।
20. उच्च प्राथमिक छोटे प्राप्तक कक्षानुमान में प्रति छात्र संख्या 09 वर्ग कीट की दर से रखान उपलब्ध होना चाहिए। विद्यालय में कक्षावार उतने ही छोटे-छात्रों का प्रवेश दिया जायें, जिनके बैठने की समुद्दित व्यवस्था हो। प्रत्येक कक्षा-कक्ष में कम से कम 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।
21. उच्च प्राथमिक उत्तर की 3 कक्षावारे, पुस्तकालय, बाबनालय, प्रधानाभ्यापक, कार्यालय तथा रटाफ के लिये अलग-अलग कक्ष, छात्र/छात्राओं तथा आगामी/अध्यापिकाओं के पृथक-पृथक मुद्रालय, शीथलालय एवं हाथ साफ करने की समुद्दित व्यवस्था तथा पीने के स्वच्छ (जीवानुसंहित) पानी की समुद्दित व्यवस्था होनी चाहिए।
22. रोलफूट के लिये विद्यालय परिसर में या विद्यालय परिसर के सभी पर्याप्त कीड़ा रखल उपलब्ध होना चाहिए। जिसका उपयोग विद्यालय के छात्र/छात्राएँ कर सकते हैं।

23. विद्यालय में छात्रोंपर्यागी विभिन्न विषयों की पुस्तकें, खेल-कूद का सामान, मानविक्यार, विभिन्न शैक्षिक चार्ट, सामान्य ज्ञान, शिक्षाप्रद पुस्तके तथा पत्र-पत्रिकाओं, पाठ्यक्रमानुसार आवश्यक विज्ञान सामग्री, प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यकतानुसार भौगोलिक नवशो, ग्लोब, विषय से संबंधित चार्ट उपलब्ध होने चाहिए। दूसरे एवं अन्य उपकरण आदि की व्यवस्था विद्यालय अपने आर्थिक संसाधनों के द्वाटिगत कर सकते हैं।
24. विद्यालय द्वारा ₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) की धनराशि का एक स्थाई सुरक्षित कोष बनाया जाएगा और उसे जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम में प्रतिवृत्त किया जाएगा।
25. मान्यता के पश्चात विद्यालय ने निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम-2009 के अनुसार न्यूनतम स्टाफ उपलब्ध होना चाहिए।
26. मान्यता प्राप्त विद्यालयों के कार्मिकों का वेतन भूगतान प्रबन्धत्रय द्वारा अपने नियों द्वारा से किया जायेगा।
27. उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त वैसिक शूल (जूहाइस्कूल) (अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्त) नियमावली - 1978 (विद्यार्थीयोंपरिल) के अनुसार होगी।
28. मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा।
29. मान्यता प्राप्त कक्षाओं के अविरिक्त जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्ण अनुमति के बिना संस्था द्वारा कक्षा अवधा कोई अनुमान (सेवन) न खोला जायेगा और न ही बन्द किया जायेगा न सामाजिक किया जायेगा और न ही रक्षानान्तरित किया जायेगा। विद्यालय को शास्त्र विद्यालय घलाने की अनुमति नहीं होगी।
30. विद्यालय द्वारा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-19 एवं अनुसूची में विहित रहर एवं मानकों को स्थापित रखेगा।
31. विद्यालय प्रबन्धत्रय द्वारा विद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं का कक्षावार एवं विषयवार अधिगम स्तर एसएसी0ई0आरटी० द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार बनाये रखना अनिवार्य होगा।
32. प्राथमिक (प्राइमरी) / उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) की शिक्षा प्रदान करने वाले अशासकीय (मान्यता प्राप्त) विद्यालय स्वतित पोषित होगे, जिन्हें तज्ज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का जनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा तथा अनुदान स्वीकृत हेतु उनका कोई भी दबा मान्य नहीं होगा।
33. मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं मंहगाई शुल्क मिलाकर उतना मासिक शुल्क स्वीकार किया जायेगा जो अध्यापकों/ कर्मचारी कल्याणकारी योजना का अशादान बहुन करने के लिए पर्याप्त हो। इसके अतिरिक्त शिक्षण शुल्क तथा मंहगाई शुल्क से विद्यालय की वार्षिक आय में रेतन भूगतान के पश्चात शुल्क आय के 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हो। शिक्षण शुल्क में कोई शुद्धि ठीन वर्ष तक नहीं की जायेगी। शुल्क में जब वृद्धि की जायेगी वह 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
34. विद्यालय द्वारा पंजीकरण शुल्क, रक्षा शुल्क तथा कैफिटेशन के रूप में कोई फ्रीस विद्यार्थियों से लेना वर्जित है।
35. लौटाओं की सम्पर्कें और प्रनालीन किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा किया जाना चाहिए और नियमानुसार समुद्दित लेखा दिवरण तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लखा टिकटण की एक प्रति, प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी, मुशादाबाद को प्रेषित की जानी चाहिए।
36. विद्यालय के कर्मचारियों के लिए प्रबन्धाधिकरण द्वारा सेवा नियमावली बनाकर प्रस्तुत की जायेगी, जिसमें नियुक्ति का प्रकार, परिवेशाकाल, रसाईकरण तथा दृष्ट के सम्बन्ध में संविधान एवं विधि सम्मत प्रक्रिया का रख्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है। सेवा नियमावली में आवकाश, पैशन, योग्यता, बीमा, पीएफ० तथा अन्य कर्मचारी कल्याणकारी योजना का साप्त उल्लेख होना आवश्यक है।
37. आपके विद्यालय की आठांटिट नान्यता सम्बन्धित कोड सख्त UPS-683/2020 है। कृपया इसको ध्यान रखा जाय और इस कार्यालय से किसी प्रकार के प्रबन्धवाहार की लिए इस संख्याके चोड उल्लंघन करने का कष्ट कर।
38. समिति/विद्यालय कोई प्रतिवर्षित शुल्क संप्रह नहीं करेगा और बालक अवधा उसके माता-पिता या अभिनावक को किसी जांच प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
39. विद्यालय धोता से विधि नहीं करेगा—
 (a) बालक का आपूर्तीय पत्र न होने पर
 (b) अपूर्ति जाति अवधा नहर, जन रखा अवधा उनके से किसी अवधा पत्र।
40. विद्यालय निम्नलिखित बाली को भी सुनिश्चित करेगा—
 (एक) किसी विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक प्रवेश दिये गये किसी बालक को किसी कक्षा में नहीं रोका रखा जायेगा या उसे विद्यालय से निकारित नहीं किया जायेगा।
 (दो) किसी बालक को शाशीर्या दण्ड या शाशीक उल्लेख उत्तीर्ण करना अवैधित नहीं है।
 (तीन) किसी भी बालक से प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बोर्ड ती विद्या उत्तीर्ण करना अवैधित नहीं है।
 (चार) प्रत्येक बालक को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने पर नियम 25 के अन्तर्गत नियोग के अनुसार एक प्रमाण-पत्र वितरित किया जायेगा।
 (पांच) अधिनियम के उल्लंघन के अनुसार निश्चलतापत्र/विशेष आवश्यकताओं का विद्यार्थीयों का अन्वेषण
 (छह) अवधारक अधिकारी नियोग के अवधारक अधिकारी का नियुक्त करता है, और
 (सात) अन्यायक लाभाकार अवधारक कियाकलाली के नियुक्त लाभ को नहीं लगायेगा।

कृपया उपरोक्त का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। विद्यालय प्रबन्धत्रय द्वारा कूटरचना/तथ्यगोपन/मान्यता की शर्तों में उल्लंघन होने से संबंधित कोई तथ्य संज्ञान में पाया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता का प्रत्याहरण कर लिया जायेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धाधिकरण का होगा। इसमें किसी भी प्रकार का वाद-विवाद योजित नहीं किया जायेगा।

मवदीय,

(योगेन्द्र कुमार)
जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
गुरादाबाद।

पृष्ठ०/वै०सह०/मान्यता/
प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही देते प्रेषित है—
दिनांक उल्लंघन:

- जिलाधिकारी सदौदय, मुशादाबाद।
- गुजरात विकास अधिकारी, गुरादाबाद।
- संविधि वैसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रयागराज।
- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (वैसिक), ढादरा गाँवल, मुशादाबाद।
- जिला विद्यालय नियोगी, गुरादाबाद।
- जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला पिछळा वर्ग कल्याण अधिकारी, मुशादाबाद।
- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद मुशादाबाद।

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
गुरादाबाद।



**Office of the District Basic Education Officer
MORADABAD**

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that **S.L.EDUCATION INSTITUTE,VILL PALLUPURA GHOSI POST PAKBARA DISTT MORADABAD** is permanently recognized for Primary(class 1 to 5). The Recognition number allotted to S.L.EDUCATION INSTITUTE is **689**.The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

15-12-2021(DD/MM/YYYY)

Old

Pre-Primary School and Primary School

689

5.Recognition No.

DATE:- 15-12-2021

PLACE:- MORADABAD

District Basic Education Officer



**Office of the District Basic Education Officer
Moradabad**

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that **S.L.EDUCATION INSTITUTE, VILL PALLUPURA GHOSI POST PAKBARA DISTT MORADABAD** is permanently recognized for Upper Primary(class 6 to 8).The Recognition number allotted to S.L.EDUCATION INSTITUTE is 683.The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE

09-12-2021(DD/MM/YYYY)

3. Recognition Type

Old

4. School Type

Upper Primary School(6 to 8)

5. Recognition No.

683

DATE:- 09-12-2021

District Basic Education Officer

PLACE:- Moradabad

दिशा-निर्देश

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

MORADABAD

सेवा में,

प्रबंधक

S.L EDUCATION INSTITUTE

VILL PALLUPURA GHOSI POST PAKBARA DISTT
MORADABAD

MORADABAD

पत्रोक्त-बेसिक/मान्यता/

/2020-21

दिनांक :- 21/Jan/2023

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धरा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) तथा नियमावली 2011 के अधीन विद्यालय के लिए अनंतिम मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पक्षात्वर्ती पत्राचार /निरिक्षण की प्रति एवं मान्यता समिति के निर्देश से मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ आपके विद्यालय को शिक्षा सत्र 2020-21 से एक वर्ष की अवधि के लिए प्राइमरी स्तर (I - V) स्तर अंग्रेजी माध्यम की अनंतिम (स्थापी) मान्यता प्रदान की संसूचना देता हूँ।

जामीन और भवी जिम्मेदारी वालों के लागे जिलों जाटों के प्रधानीज जै

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमे किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/सर्वधन करने के लिए कोई बाध्यता दिवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध 1) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबंध 2) तथा नियमावली 11 के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यास्थास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा ही जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पेरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृष्ठक छेँक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आपु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और व अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय नियांत्रित सुनिश्चित करेगा:-
 7. (1). प्रवेश दिए गए किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्काशित नहीं किया जायेगा।
 - (2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
 - (3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगा।

अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

(5) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तताग्रस्त /विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

(6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित यथा न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक , जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हो, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रिया करातों में नियोजित नहीं करेंगे।

8. विद्यालय समूचित प्राधिकारी हारा अधिकथित पाठ्यचार्य के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सानियमों को बनाये रखेगा।

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल- 2348

कुल निर्मित क्षेत्रफल-10077

क्रीड़ास्थल- हों

कक्षाओं की संख्या- NaN

प्रधानाध्यापक, कार्यालय एवं स्टाफ के लिए कक्षाओं की संख्या- 1,1,1

पुस्तकालय /वाचनालय कक्षाओं की संख्या- 1

बातक/बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय की संख्या- 18

बाधारहित पहुँच – हाँ

अध्यापन पठान सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपरुक्तों/काष्टोपकरण/विज्ञान सामग्री की उपलब्धता- हाँ

10. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गेर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जाएंगी।
11. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा-स्पल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जायेगा।
12. विद्यालय भवनों या अन्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटीज द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी तोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
13. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा।
14. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तेयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
15. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 689 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
16. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट या सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और समुचित सरकार/स्थानीय प्राचिकारी द्वारा अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत-अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय

17. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।
18. विद्यालय/संस्था द्वारा प्रतिवर्ष विभाग द्वारा निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार यू-डाइस + से सम्बंधित सूचनाएं/आंकड़े भरना अनिवार्य होगा।
19. शासनदेश दिनांक 11.1.2019 एवं 29.06.2020 में उल्लिखित समस्त निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत विभागीय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इस सम्बन्ध में यह भी आदेशित किया जाता है कि मान्यता पत्रावली के साथ प्रस्तुत पत्राजातों में भविष्य में कोई भी तथ्य गोपन / कूटरचना प्रकाश में आती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त करने के साथ ही विद्यालय प्रबंधक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी। जिसके लिए विद्यालय प्रबंधतान्व स्वयं उत्तरदायी होगा।

दिशा-निर्देश

प्रेषक,

जिला बेरिक शिक्षा अधिकारी

MORADABAD

सेवा में,

प्रबंधक

S.L. EDUCATION INSTITUTE

VILL PALLUPURA GHOSI POST PAKBARA DISTT
MORADABAD

MORADABAD

पत्रांक-बेसिक/मान्यता/

/2020-21

दिनांक :- 21/Jan/2023

विषय- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धरा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) तथा नियमावली 2011 के अधीन विद्यालय के लिए अनंतिम मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पक्षात्कर्ती पत्राचार /निरिक्षण की प्रति एवं मान्यता समिति के निर्देश से मैं जिला बेरिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ आपके विद्यालय को शिक्षा सत्र 2020-21 से एक वर्ष की अवधि के लिए अपर-प्राइमरी स्तर (VI - VIII) स्तर अंग्रेजी माध्यम की अनंतिम (स्थायी) मान्यता प्रदान की संसद्भवा देता हूँ।

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता दिवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबंध 2) तथा नियमावली 11 के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैसा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायगा। ऐसी प्रतिपूर्तियों प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक वैक स्थान रखेगा।
5. सोसाइटी विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कॉलरिशन प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा और व अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
7. (1) प्रवेश दिए गए किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कारित नहीं किया जायेगा।
(2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
(3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगा।

अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

(5) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तताग्रस्त /विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

(6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित यथा न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक , जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हो, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचार्य के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यापाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा।

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल- 2348

कुल निर्मित क्षेत्रफल-10077

क्रीड़ास्थल- हाँ

कक्षाओं की संख्या- NaN

प्रधानाध्यापक, कार्यालय एवं स्टाफ के लिए कक्षाओं की संख्या- 1,1,1

पुस्तकालय /वाचनालय कक्षाओं की संख्या- 1

बालक/बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय की संख्या- 18

बाधारहित पहुँच – हाँ

अध्यापन पठान सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करण/काष्ठोपकरण/विज्ञान सामग्री की उपलब्धता- हाँ

10. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गेर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जाएगी।
11. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जायेगा।
12. विद्यालय भवनों या अन्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटीज द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी तोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
13. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा।
14. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उवित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
15. आपके विद्यालय को आवृत्ति मान्यता कोड संख्यांक-683 है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
16. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट या सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर जिस्खा निदेशक /जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समूचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय

17. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, पदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।
18. विद्यालय/संस्था द्वारा प्रतिवर्ष विभाग द्वारा निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार यू-डाइस + से सम्बंधित सूचनाएँ ऑकड़े भरना अनिवार्य होगा।
19. शासनदेश दिनांक 11.1.2019 एवं 29.06.2020 में उल्लिखित समस्त निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत विभागीय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इस सम्बन्ध में यह भी आदेशित किया जाता है कि मान्यता पत्रावली के साथ प्रस्तुत पत्राजातों में भविष्य में कोई भी तथ्य गोपन / कूटरचना प्रकाश में आती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त करने के साथ ही विद्यालय प्रबंधक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी। जिसके लिए विद्यालय प्रबंधितन्त स्वयं उत्तरदायी होगा।